

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/6827

दिनांक: 20.08.2026

आदेश

आयोग द्वारा राज्य की 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव की घोषणा दिनांक 19.08.2026 को की जा चुकी है। उक्त नगरीय निकायों के आम चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है।

आदर्श आचरण संहिता प्रभाव में रहने की अवधि में विभिन्न विभागों द्वारा स्पष्टीकरण/शिथिलता सम्बन्धित प्रकरण सीधे तौर पर आयोग को प्रेषित नहीं किये जावेंगे।

इस सम्बन्ध में आवश्यकता की स्थिति में आदर्श आचरण संहिता में स्पष्टीकरण/शिथिलता सम्बन्धी प्रकरण श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, के स्तर से अनुमोदन उपरान्त ही आयोग को भिजवाये जावें। मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध है कि प्रकरणों का परीक्षण, आयोग द्वारा समय-समय पर आदर्श आचरण संहिता के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार कर लिया जावे तथा शिथिलन/अनुमति दिए जाने योग्य प्रकरण ही आयोग को प्रेषित किए जाए। समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि अपनी मूल पत्रावली मुख्य सचिव कार्यालय में प्रेषित करते समय संदर्भित किये जाने वाले प्रकरण स्वयं की स्पष्ट टिप्पणी के साथ प्रेषित किये जावेंगे।

सम्बन्धित विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि यदि किसी प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण न्यूनतम 07 दिवस (एक सप्ताह) पूर्व मुख्य सचिव महोदय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

20/8/26

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/6828-34

दिनांक : 20.08.2026

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
4. महा निदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
7. एनालिस्टर-कम-प्रोग्रामर राज्य निर्वाचन आयोग, समस्त संबंधित को ई-मेल कराने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

Qu

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
जयपुर, राजस्थान